# रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,जबलपुर

क्रमांक / स्था0 / 2023 / .3476

जबलपुर, दिनांक : 03 / 01 / 2024

**आदेश**

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षण विभाग में शैक्षणिक सत्र 2022–23 के लिए अध्यापन / प्रशिक्षकीय कार्य हेतु विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए विज्ञापन क्रमांक / स्था. / 2022 / 3015 दिनांक 05.07.2023 के अनुसार प्राप्त पात्र आवेदकों के दिनांक 27 सितम्बर 2023 को आयोजित साक्षात्कार उपरांत प्राप्त अनुशंसानुसार **श्री नीतेश सुरखेल,** को शारीरिक शिक्षण विभाग, में अतिथि विद्वानों रूप में अध्यापन कार्य हेतु नियुक्ति किया गया था, श्री सुरखेल द्वारा विश्वविद्यालय के अतिथि विद्वान के पद से त्याग पत्र देने के कारण प्रतिक्षा सूची के वरियता कम के अनुसार **श्री नीलेश चौरे** को माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षण विभाग में अतिथि विद्वान के रूप में उल्लिखित शर्तों के अनुसार आमंत्रित किया जाता है, यथा:–

01. आमंत्रित अतिथि विद्वान वि.वि. के शिक्षण विभागों में यू.जी.सी. / म.प्र. शासन की शर्तो का पालन करेंगे एवं प्रतिदिन यू.जी. सी. द्वारा निर्धारित न्यूनतम वर्कलोड के आधार पर उतने कालखण्ड लेने तथा निर्धारित पूर्ण कार्यावधि में उपस्थित रहने हेतु बाध्य होंगे। साथ ही विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.12.2022 के निर्णयानुसार आमंत्रित अतिथि विद्वानों को प्रतिमाह निश्चित **(Fixed)** मानदेय रु. 35,000 / – (पैंतीस हजार मात्र) प्रदान किया जायेगा।
02. मानदेय का भुगतान विभाग में स्ववित्तीय मद से ही देय होगा।
03. आमंत्रित अतिथि विद्वान के अनुपस्थित होने पर प्रति दिवस रु. 1,200 / – (एक हजार दो सौ रुपये) की दर से कटौती की जायेगी।
04. अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और वे लोक सेवा की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जावेंगे।
05. अतिथि विद्वान कार्य दिवस के पूर्ण कार्य अवधि तक उपस्थित रहेंगे एवं विभागीय कार्यो में सहयोग करेंगे।
06. आमंत्रित अतिथि विद्वान किसी अन्य शैक्षणिक / अकादमिक संस्था में पूर्णकालिक / अल्पकालिक रूप से कार्य नहीं कर सकेंगे। अतः इस आशय का शपथ पत्र अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा।
07. आमंत्रित अतिथि विद्वानों को अपनी मूल संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
08. आमंत्रित अतिथि विद्वान आवश्यकतानुसार / विभागाध्यक्ष के आदेशानुसार वि.वि. के अन्य विभागों में भी अपनी सेवाएं देंगे।
09. विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय नियमानुसार नियमित नियुक्ति हो जाने पर आमंत्रित अतिथि विद्वान तत्काल प्रभाव से स्वयंमेव कार्य मुक्त माने जावेंगे।
10. अतिथि विद्वानों के अध्यापन के कालखण्डों का निर्धारण, अनुशासित व्यवहार एवं कक्षा में अध्यापन की दक्षता का प्रमाणन विभागाध्यक्ष / संचालक द्वारा किया जायेगा।
11. आदेश प्रसारण के सात कार्य दिवस के अन्दर आमंत्रण का स्वीकृति पत्र संबंधित विभाग में देना अनिवार्य है।

आदेशानुसार,

कुलसचिव  
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,  
जबलपुर

क्रमांक / स्था0 / 2023 / .3476(अ)  
प्रतिलिपि सूचनार्थ:–

जबलपुर, दिनांक 03 / 01 / 2024

1. उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों को ।
2. समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / प्रभारी आचार्य, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर।
3. वित्त नियंत्रक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर।
4. सहायक संचालक, आवासीय संपरीक्षा, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर।
5. कुलपति जी / कुलसचिव जी के निज सहायक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर।
6. प्रभारी, कम्प्यूटर केन्द्र, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर।
7. संबंधित नस्ती।

3.1.24

सहायक कुलसचिव (स्था.)  
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,  
जबलपुर